भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4407

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

पीडीएस भांडागार

4407. श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के भांडागारों में खाद्यान्नों के प्रभावी संरक्षण हेतु सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(ख) पीडीएस के अंतर्गत भांडागार संचालन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित सेंसर जैसे डिजिटल उपकरणों और निगरानी प्रणालियों को किस प्रकार एकीकृत किया गया है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा निर्धारित एकसमान विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से की जाती है। खरीद किए गए खाद्यान्नों को वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों को अपनाते हुए वैज्ञानिक रूप से निर्मित गोदामों में संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा, भंडारित खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए गोदामों में सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन उपकरण भी लगाए जाते हैं।

(ख): स्मार्ट वेयरहाउसिंग प्रौद्योगिकियों सहित एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिससे एक निर्बाध डिजिटल मॉनीटरिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा जिसमें प्रमुख मापदंडों की मॉनीटरिंग के लिए सीसीटीवी निगरानी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित सेंसर शामिल होंगे।